224

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनर्विलोकन प्रकरण क्रमांक /2016 जिला–छतरपुर

1– नन्दू पुत्र स्व0 श्री दरयाब उर्फ श्री दरूआ कुर्मी,
2– दुर्गाप्रसाद पुत्र स्व0 श्री लक्ष्मीप्रसाद कुर्मी
निवासीगण– ग्राम पुर, तहसील महाराजपुर, जिला छतरपुर (म.प्र.)
––आवेदकगण

विरूद्ध

1– हरगोविन्द कुर्मी पुत्र स्व0 श्री रामलाल
2– काशीराम कुर्मी पुत्र स्व0 श्री रामलाल
3– धनश्याम कुर्मी पुत्र श्री पारीक्षत कुर्मी,
निवासीगण– ग्राम पुर, तहसील महाराजपुर, जिला छतरपुर (म.प्र.)
4– श्रीमती गौरीबाई पुत्री पारीक्षत कुर्मी,
निवासीगण– ग्राम रामपुरा, तहसील कुलपहाड, जिला मोहबा (उ.प्र.)
5– पुनिया पुत्री स्व. हरयाव उर्फ दरूआ कुर्मी
पत्नी श्री मथुराप्रसाद कुर्मी,
निवासी ग्राम सुकवा, तहसील नौगांव,
जिला छतरपुर (म.प्र.)
6– कोसिया पुत्र चिरौजी पत्नी लल्लू पटेल,
ग्राम गढी, तहसील महाराजपुर, जिला छतरपुर (म.प्र.)
7– बन्दरगढवाली पत्नी स्व. लक्ष्मीप्रसाद कुर्मी,
ग्राम पुर, तहसील महाराजपुर, जिला छतरपुर (म.प्र.)
8– चुखरिया वैवा श्री भजनलाल मुर्मी,
ग्राम रामपुरा तहसील कुलपहाड, जिला मोहबा (उ.प्र.)
–– अनावेदकगण

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल द्वारा प्रकरण क्रमांक 2620/एक/2016 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 05.08.2016 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता की धारा 51 के अधीन पुनर्विलोकन।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से यह पुनर्विलोकन निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

1. यहकि, माननीय न्यायालय के आदेश में कई ऐसी वैधानिक त्रुटियां रह गयी हैं जिनके कारण माननीय न्यायालय का आदेश पुर्नविलोकन योग्य है।
2. यहकि, माननीय न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख बुलाये बिना एवं उसकी जॉच किये बिना ग्राह्यता पर जो आदेश पारित किया है, वह माननीय उच्च न्यायालय के न्यायदृष्टांत के विपरीत होने से माननीय न्यायालय का आदेश पुर्नविलोकन योग्य है।
3. यहकि, माननीय न्यायालय के समक्ष आवेदक द्वारा जो पुनरीक्षण प्रस्तुत किया गया था तथा उसमें जो वैधानिक आधार उठाये गये थे उनपर लेशमात्र विचार

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक पुर्नाविलोकन 3576/एक/2016 जिला–छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
19-1-17	आवेदक अधिवक्ता द्वारा रिब्यू की ग्राहयता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया। यह रिब्यू इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.08.2016 की प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया। यह पुर्नाविलोकन निगरानी प्रकरण क्रमांक 2630/एक/2016 में पारित आदेश दिनांक 05.08.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 सहपठित व्यवहार प्रक्रिया संहिता आदेश 47 नियम 1 में पुर्नाविलोकन हेतु निम्नलिखित आधारों का उल्लेख किया गया है। 1– किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो समयक् तत्परता के पश्चात् भी उस समय जब आदेश किया गया था, उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके द्वारा पेश नहीं की जा सकती थी, या 2– मामले के अभिलेख से ही प्रकट कोई भूल या गलती, या 3– कोई अन्य प्रर्याप्त कारण। अभिलेख में ऐसी कोई साक्ष्य अथवा बात का उल्लेख नहीं किया गया है, जो आदेश पारित करते समय प्रस्तुत नहीं की जा सकती थी और ना ही अभिलेख से परिलक्षित त्रुटि ही दर्शायी गयी है। इस न्यायालय द्वारा अपनायी गयी प्रक्रिया को त्रुटिपूर्ण ठहराने का प्रयास किया गया है, जो पुर्नाविलोकन का आधार नहीं हो सकते। अतः यह पुर्नाविलोकन प्रथमदृष्टया आधारहीन होने से अग्राहय किया जाता है। सदस्य	